

# राजस्थान राज्य भारत स्काउट्स व गाइड्स, राज्य मुख्यालय

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बजाज नगर, जयपुर – 302015

टेलीफोन नं. 0141-2706830, 2706032 फेक्स नं. 0141-2707679, ई-मेल:-rajscoutguide@yahoo.com

क्रमांक : एफ 6 (4) एसएलटी/परि./ट्रे.कॉ./2017-17/4/243

दिनांक – 11/04/17

सहायक राज्य संगठन आयुक्त(स्काउट/गाइड),  
मण्डल मुख्यालय,  
समस्त

विषय:- ट्रेनिंग काउन्सलर कोर्स।

महोदय,

राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड,राज्य मुख्यालय के तत्वावधान में ट्रेनिंग काउन्सलर कोर्स का आयोजन दिनांक 01 से 05 जून 2017 तक राज्य स्काउट/गाइड प्रशिक्षण केन्द्र नं. 1 ऑल्ड गोल्फ मैदान केन्द्रीय बस स्टैण्ड के पास आबूपर्वत पर किया जा रहा है। शिविर संबंधित विस्तृत सूचनाएँ निम्न प्रकार है :-

- 01.शिविर का नाम :- ट्रेनिंग काउन्सलर कोर्स।
- 02.तिथियाँ :- दिनांक 01 से 05 जून 2017 तक
- 03.स्थान :- राज्य स्काउट/गाइड प्रशिक्षण केन्द्र नं. 1 ऑल्ड गोल्फ मैदान केन्द्रीय बस स्टैण्ड के पास आबूपर्वत(सिरोही) फोन नं.02974-238662 मो.नं.80030-97176
- 04.पहुँच :- दिनांक 01 जून 17 को प्रातः09.00 बजे तक शिविर स्थल पर पहुँचना आवश्यक है।
- 05.प्रस्थान :- दिनांक 05 जून, 2017 को दोपहर पश्चात्
- 06.शुल्क :-

1.पंजीकरण शुल्क	80.00	रु.संबंधित संस्था द्वारा देय
2.विकास शुल्क	200.00	रु.संबंधित संस्था द्वारा देय
योग :-	280.00	
- 07.आवास व्यवस्था :- आवास व्यवस्था छोलदारियों में होगी।
- 08.भोजन व्यवस्था :- टोली विधि द्वारा की जावेगी। कच्ची सामग्री शिविर से निःशुल्क उपलब्ध करवाई जावेगी।
09. सम्पर्क :- सर्कल आर्गनाइजर आबूपर्वत (सिरोही) फोन.नं 02974-238662 मोबाईल नं. 80030-97176
- 10.यात्रा व्यय :- सम्भागियों का यात्रा व्यय राज्यकोष आदेश क्रमांक पं. 8 (12) शिक्षा/गुप-4/76 दिनांक 18.08.2016 के अनुसार देय होगा। इस हेतु प्रस्थान से पूर्व सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है।
- 11.योग्यता :- हिमालय वुड बैज अथवा एडवांस कोर्स योग्यता प्राप्त होना आवश्यक है। इससे कम योग्यता वाले स्काउटर/गाइडर को स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- 12.आवंटित संख्या एवं पंजीकरण :- प्रति जिला ट्रेनिंग काउन्सलर कोर्स – 01 स्काउट विभाग एवं 01 गाइड विभाग भाग ले सकेंगे। इससे अधिक संख्या में सम्भागी स्वीकार नहीं किये जा सकेंगे। आवेदन फार्म दिनांक 16.5.17 तक मण्डल मुख्यालय पर तथा मण्डल मुख्यालय द्वारा दिनांक 20.5.17 तक राज्य मुख्यालय को भिजवाना होगा। यदि किन्ही

कारणों से शिविर की तिथियों में परिवर्तन/स्थगित किया जाता है तो इसकी सूचना उन्हीं को दी जावेगी जिनका 20.5.17 तक पंजीकरण हो गया होगा।

13.पोशाक व सामग्री :- एपीआरओ भाग-2/3 के अनुसार सम्पूर्ण पोषाक। प्रातः व्यायाम के लिए स्काउट विभाग टी शर्ट व हॉफ पेन्ट साथ लावें। मौसम के अनुसार बिस्तर, बदलने के कपडे, दैनिक उपयोग की सामग्री,भोजन व चाय नाश्ता करने के बर्तन, टार्च, पैन, नोट बुक वाटर बोटल आदि साथ लाना आवश्यक है। यदि कोई दवा लेते हो तो साथ लावें ।

14.विशेष :- 1.शिविरावधि में शिविर केन्द्र छोडने की स्वीकृति नही दी जावेगी ।  
2.विलम्ब से आने वालों को स्वीकार नहीं किया जावेगा ।  
3.शिविर में किसी भी अन्य सदस्य को साथ न लावें अन्यथा शिविर में सम्मिलित नहीं किया जा सकेगा ।  
4.शिविर नियम पालन न करने पर शिविर से कार्यमुक्ति का अधिकार शिविर संचालक के पास सुरक्षित होगा।



राज्य प्रशिक्षण आयुक्त(स्काउट)

दिनांक - 11/04/17

क्रमांक : एफ 6 (4) एसएलटी/परि./ट्रे.कॉ./2017-18/4/244-250

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है :-

01.राज्य मुख्यालय पदाधिकारीगण।

02.मण्डल सचिव, मण्डल मुख्यालय,समस्त।


03.जिला शिक्षा अधिकारी .....

04.सर्कल आर्गे.(स्का/गा) समस्त अपने जिले से मण्डल के निर्देशानुसार ट्रेनिंग कौउन्सलर कोर्स का चयन कर आवेदन 20 मई, 2017 तक मण्डल के माध्यम से राज्य मुख्यालय को भिजवावें।

05.संस्था प्रधान .....

06.लेखाशाखा राज्य मुख्यालय, जयपुर।

07. सहायक प्रोग्रामर रा.मु. जयपुर को ईमेल एवं वेबसाईट में अपलोड हेतु।



राज्य प्रशिक्षण आयुक्त(स्काउट)

# राजस्थान राज्य भारत स्काउट्स व गाइड्स, राज्य मुख्यालय

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बजाज नगर, जयपुर – 302015

टेलीफोन नं. 0141-2706830, 2706032 फेक्स नं. 0141-2707679, ई-मेल:-rajscoutguide@yahoo.com

क्रमांक : एफ 6 (22) एसएलटी/परि./क.बे.को./2017-18/3/235

दिनांक – 11 /04/17

सहायक राज्य संगठन आयुक्त(स्काउट/गाइड),  
मण्डल मुख्यालय,  
समस्त

विषय:- कमिश्नर बेसिक कोर्स।

महोदय,

राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड, राज्य मुख्यालय, जयपुर के स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमानुसार कमिश्नर बेसिक कोर्स का आयोजन दिनांक 07 जून से 11 जून, 2017 तक आबूपर्वत केन्द्र नं. 1 ओल्ड गोल्फ मैदान, पर किया जा रहा है। शिविर का विवरण निम्न प्रकार है :-

- 01.शिविर का नाम :- कमिश्नर बेसिक कोर्स।
- 02.तिथियाँ :- 07 से 11 जून 2017
- 03.स्थान :- राजस्थान राज्य भारत स्काउट/गाइड राज्य प्रशिक्षण केन्द्र नं.1,ओल्ड गोल्फ मैदान,केन्द्रीय बस स्टेण्ड के पास, आबूपर्वत, (सिरोही)
- 04.पहुँच :- दिनांक 07 जून 2017 को प्रातः 09.00 बजे तक शिविर स्थल पर पहुँचना आवश्यक है।
- 05.प्रस्थान :- दिनांक 11 जून, 2017 को मध्याह्न पश्चात्।
- 06.शुल्क :-


1.पंजीकरण शुल्क	80.00 रु.
2.विकास शुल्क	<u>200.00 रु.</u>
योग :-	<u>280.00 रु.</u>
- 07.आवास व्यवस्था :- आवास व्यवस्था तम्बुओं/छोलदारियों में होगी।
08. भोजन व्यवस्था :- शिविर में भोजन की व्यवस्था संगठन द्वारा निःशुल्क की जावेगी।
- 09.सम्पर्क :- सर्कल आर्गनाइजर आबूपर्वत (सिरोही) फोन.नं 02974-238662 मोबाइल नं. 80030-97176
- 10.यात्रा व्यय :- सम्भागियों का यात्रा व्यय राज्यकोष आदेश क्रमांक पं. 8 (12) शिक्षा/गुप-4/76 दिनांक 18.08.2016 के अनुसार देय होगा। इस हेतु प्रस्थान से पूर्व सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है।
- 11.योग्यता :- स्थानीय संघ मुख्यालय पर नियुक्त प्रभारी सहायक जिला कमिश्नर, जिन्होंने कमिश्नर प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया हों। जो शरीर से स्वस्थ हो तथा शिविर के श्रम को वहन करने की क्षमता रखते हों।
- 12.पंजीकरण :- आवेदन फार्म दिनांक 16.5.17 तक मण्डल मुख्यालय पर तथा मण्डल मुख्यालय द्वारा दिनांक 20.5.17 तक राज्य मुख्यालय को भिजवाना होगा। यदि किन्हीं कारणों से शिविर की तिथियों में परिवर्तन/स्थगित किया जाता है तो इसकी सूचना उन्हीं को दी जावेगी जिनका 20.5.17 तक पंजीकरण हो गया होगा।
- 13.पोशाक :- (अ) स्काउट विभाग –  
एपीआरओ भाग-2 के अनुसार स्काउट यूनिफॉर्म (पूर्ण व सही पोषाक) – नेवी ब्लू पेंट,स्टील ग्रे कमीज, (दो ढक्कनदार जेब), नीली बेल्ट कैप मय कैप बैज, नायलॉन ग्रे कलर निर्धारित स्काउट बेल्ट, काले मौजे, काले फीतेदार जूते, कमिश्नर स्कार्फ, वोगल, आदि साथ लावें।

(ब) गाइड विभाग –

नीली बिना बार्डर वाली प्लेन साडी, पेटीकोट (काला/नीला), सफेद ब्लाउज लम्बा, (साडी को तीन इंच ढकता हुआ) टेनिस कालर, दो जेब ढक्कनदार, काले जूते,केमल कलर के मौजे, नाइलॉन की गाइड ब्राउन बेल्ट कमिश्नर स्कार्फ, वोगल, आदि साथ लावें।

- 14.अन्य सामग्री :- मौसम के अनुसार बिस्तर,बदलने के कपडे, नित्य उपयोग की सामग्री, टार्च, पैन, नोट बुक स्वयं की आदत के अनुसार दवाईयों साथ लावें।
- 15.विशेष :- 1.शिविरावधि में अवकाश देय नहीं होगा एवं शिविर केन्द्र छोडने की स्वीकृति नही दी जावेगी ।  
2.विलम्ब से आने वाले कमिश्नर्स को स्वीकार नहीं किया जावेगा ।  
3.शिविर में किसी भी अन्य व्यक्ति या पारिवारिक सदस्य को साथ न लावें अन्यथा शिविर में सम्मिलित नहीं किया जा सकेगा।

नोट :- प्रभारी सहायक जिला कमिश्नर(स्काउट/गाइड) के अतिरिक्त किसी भी अन्य विद्यालय के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक या ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को इस शिविर में सम्मिलित नहीं किया जा सकेगा।

  
राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट)

क्रमांक : एफ 6 (22) एसएलटी/परि./क.बे.को./2017-18/3/236-42

दिनांक – 11/04/17

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है :-

01.राज्य मुख्यालय पदाधिकारीगण।

02.मण्डल सचिव, मण्डल मुख्यालय,समस्त।


03.जिला शिक्षा अधिकारी .....

04.सर्कल आर्गे.(स्का/गा) समस्त अपने जिले से मण्डल के निर्देशानुसार ट्रेनिंग कौउन्सलर कोर्स का चयन कर आवेदन 20 मई, 2017 तक मण्डल के माध्यम से राज्य मुख्यालय को भिजवावें।

05.संस्था प्रधान .....

06.लेखाशाखा राज्य मुख्यालय, जयपुर।

07. सहायक प्रोग्रामर रा.मु. जयपुर को ईमेल एवं वेबसाईट में अपलोड हेतु।

  
राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट)